

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—94 / 2023 (2023 / 210) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. चुन्नी पत्नि गोरधनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. दल्लु पुत्री गोरधनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नाथुलाल आत्मज गोरधनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नारायणलाल आत्मज गोरधनलाल ब्राह्मण नि.नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बालकिशन आत्मज गोरधनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रूकमणी पुत्री गोरधनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रमेशचन्द्र आत्मज गोरधनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. रामलाल आत्मज गोरधनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सायरी पुत्री गोरधनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. चिराग आत्मज भैरूलाल ब्राह्मण निवासी जनावद तहसील कांकरोली जिला राजसमंद
11. धर्मचन्द आत्मज भैरूलाल ब्राह्मण निवासी जनावद तहसील कांकरोली जिला राजसमंद
12. भगवती पुत्री भैरूलाल ब्राह्मण निवासी जनावद तहसील कांकरोली जिला राजसमंद

प्रार्थीगण

बनाम

1. जानकीलाल आत्मज उंकारलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कालुलाल आत्मज लालुलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गणपतसिंह आत्मज उदयसिंह राजपूत नि. खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रमेशदास आत्मज बद्रीदास बैरागी निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सांवरमल आत्मज शान्तिदास बैरागी निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. शंकर आत्मज नंगजीराम गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. कल्याणमल कुम्हार —

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 25.07.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम खाखरमाला पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 व मृतक खातेदार झमकु पुत्री गोरधनलाल ब्राह्मण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 479 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 914 / 480 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 916 / 480 रकबा 0.27 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.45 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 69 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता



मुकदमा नम्बर:-94/2023 (2023/210) प्रार्थना पत्र


है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 27.03.2023 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 20.06.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खाखरमाला पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 व मृतक खातेदार झमकु पुत्री गोर्धनलाल ब्राह्मण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजियात संख्या 479 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 914/480 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 916/480 रकबा 0.27 है0 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.45 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 69 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नेहा छीपा)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-94/2023 (2023/210) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. चुन्नी पत्नि गोरधनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. दल्लु पुत्री गोरधनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नाथुलाल आत्मज गोरधनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नारायणलाल आत्मज गोरधनलाल ब्राह्मण नि.नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बालकिशन आत्मज गोरधनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रूकमणी पुत्री गोरधनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रमेशचन्द्र आत्मज गोरधनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. रामलाल आत्मज गोरधनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सायरी पुत्री गोरधनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. चिराग आत्मज भैरूलाल ब्राह्मण निवासी जनावद तहसील कांकरोली जिला राजसमंद
11. धर्मचन्द्र आत्मज भैरूलाल ब्राह्मण निवासी जनावद तहसील कांकरोली जिला राजसमंद
12. भगवती पुत्री भैरूलाल ब्राह्मण निवासी जनावद तहसील कांकरोली जिला राजसमंद

प्रार्थीगण

बनाम

1. जानकीलाल आत्मज उंकारलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कालुलाल आत्मज लालुलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गणपतसिंह आत्मज उदयसिंह राजपूत नि. खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रमेशदास आत्मज बद्रीदास बैरागी निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सांवरमल आत्मज शान्तिदास बैरागी निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. शंकर आत्मज नंगजीराम गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुकमनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 25.07.2023 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खाखरमाला पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 व मृतक खातेदार झमकु पुत्री गोरधनलाल ब्राह्मण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 479 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 914/480 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 916/480 रकबा 0.27 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.45 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 69 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुकमनामा आज दिनांक 25.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया

गया।



(नेहा छीपा)

उपखण्ड अधिकारी

रायपुर, जिला भीलवाड़ा  
राजसमंद